एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी
सोमवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

25 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

अयोध्या पर रिव्यू दायर किया तो हम चले जाएंगे मथुरा-काशी

बोले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता विनय कटियार

अयोध्या

अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने अयोध्या फैसले को लेकर बयान दिया है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा तो हम मथुरा-काशी का रुख कर लेंगे।

अयोध्या के कारसेवक पुरम में राम मंदिर की तरफ से कानूनी भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह में पहुंचे विनय कटियार ने आजतक से बातचीत में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया गया तो वे मथुरा और काशी की ओर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने विहिप के अयोध्या के बाद अगले प्लान पर बात करते हुए कहा, 'एक बार राम मंदिर के कंगूरे के क्षत्रप लग जाने दीजिए उसके बाद जो युवा तरुणाई होगी वह आगे का फैसला करेगी।' बता दें कि अयोध्या मामले में रामलला विराजमान की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों के दल को विश्व हिंदू परिषद ने सम्मानित किया है। अयोध्या के कारसेवक पुरम में राम मंदिर मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता केशव परासरण के साथ अयोध्या पहुंचे रामलला के वकील

92 वर्षीय परासरण ने परिवार के साथ सरयू में स्नान कर रामलला को दी निर्णय की प्रतिलिपि, अयोध्यावासियों ने किया स्वागत

अयोध्या

भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला के मामले में न्याय की अवधारणा के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति संबंधित पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए और इस प्रति पर उस पक्ष का विशेष अधिकार बनता है, जिसके हक में फैसला आया हो।इसी क्रम में रामलला विराजमान की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का दल शनिवार को दिल्ली से रामलला के दरबार पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की पैरवी से करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन ने फैसले की प्रति अर्पित की। अधिग्रहीत परिसर में ही स्थित रामचरित मानस भवन के अतिथि गृह में रामलला विराजमान की ओर से अधिग्रहीत भूमि के रिसीवर मंडलायुक्त मनोज मिश्र ने यह प्रति स्वीकार की।

विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद्र एवं रामलला विराजमान के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय ने मंडलायुक्त को फैसले की प्रति सौंपी। 929 पेज का फैसला और रामजन्मभूमि की प्रामाणिकता प्रशस्त करते साक्ष्यों से युक्त 116 पेज का विशेष परिशिष्ट अधिवक्ताओं की उस मेहनत का परिणाम है, जिसे उन्होंने स्थानीय सिविल कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के वकीलों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन 170 घंटों तक चली नियमित सुनवाई के साथ उनकी मेहनत रोशन होती रही, जब नौ नवंबर को फैसला आया। तब उन्होंने रामलला और रामनगरी के साथ करोड़ों-करोड़ रामभक्तों को मुस्कुराने का मौका दिया। अयोध्या आने वाले अधिवक्ताओं के दल में केशव परासरन सहित उनके अधिवक्ता पुत्र मोहन एवं सतीश पाराशरन, वैद्यनाथन, उनके पुत्र हरीश वैद्यनाथन, पीवी योगश्वरन, स्वरूपमा चतुर्वेदी, विक्रम बनर्जी, श्रीधरन, डी. भरतकुमार, भक्तिवर्धन आदि रहे। अधिवक्ताओं ने रामलला का पूरी श्रद्धा से दर्शन भी किया। इससे पूर्व उन्होंने पुण्यसलिला सरयू में डुबकी लगाई और तीसरे पहर विहिप, संतों तथा रामनगरी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। विहिप के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद ने अधिवक्ताओं को सम्मान स्वरूप उत्तरीय, मिष्ठान के साथ रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित रामलला मंदिर के मॉडल का छाया चित्र प्रदान किया।

इस मौके पर रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, आचार्य पीठ दशरथमहल के महंत देवेंद्रप्रसादाचार्य, रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय, पूर्व सांसद विनय कटियार, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, रामचंद्र यादव एवं गोरखनाथ बाबा भी उपस्थित थे।

AMUके संस्कृत के विभागाध्यक्ष बोले BHU में हिंदू ही पढ़ाएं कर्मकांड

बीएचयू में प्रोफेसर फिरोज की नियुक्ति पर AMU के संस्कृत डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने कहा कि उनकी नियुक्ति के समय चूक हुई है. अब उनसे कर्मकांड नहीं पढ़वाया जाए.

अलीगढ़

बीएचयू में प्रोफेसर फिरोज की नियुकि पर AMU के संस्कृत डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने कहा उनकी नियुक्ति के समय चूक हुई है। अब उनसे कर्मकांड नहीं पढ़वाया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में हुई फ़िरोज़ ख़ान की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कही उनकी नियुक्ति के समय बीएचयू चयन समिति से एक चूक हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़िरोज़ खान की नियुक्ति बहुत ही साफ़ ढंग से की गई है। उसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म के शिक्षक को ही कर्मकांड पढ़ाना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्कृत विभाग में डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद मामले में एएमयू के संस्कृत विभागाध्यक्ष का बयान आया है। एएमयू संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी मानते हैं कि डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति में चयन समिति से अनजाने में चूक हुई है। डॉ. फिरोज को कर्मकांड के बदले दूसरा पेपर पढ़ाने की जिम्मेदारी देकर विवाद को टाला जा सकता है।

एएमयू के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. मोहम्मद शरीफ ने कहा कि चयन समिति में 12 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से डॉ. फिरोज खान का चयन किया गया। बीएचयू के वीसी एवं चयन समिति से एक चूक हो गई। BHU में धर्म संकाय विभाग में शिलापट्ट पर लिखा हुआ है कि कर्मकांड सिर्फ हिंदू धर्म के शिक्षक पढ़ाएंगे। चयन के पूर्व बीएचयू के रेगूलेशन आदि को भी देखना चाहिए। प्रो. शरीफ का कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय भी है कि कर्मकांड पढ़ाने के लिए उसी धर्म का व्यक्ति होना चाहिए।